"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2015— श्रावण 27, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-12/आठ-परि./2015. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उप-धारा (1) के उप-खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं खण्ड (क) से (घ) के प्रावधानों के संबंध में तथा विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4733/तक./परि/2011, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को उसमें उल्लिखित किराया को निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करती है :-

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के संविदा वाहन हेतु किलोमीटर मापित दूरी के लिए प्रभार्य अधिकतम भाड़ा, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उनके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दर से होगा,-

अनुसूची

स. क्र.	संविदा वाहन का प्रकार (1)	किराया (2)
1.	मोटर कैब/टैक्सी (डीजल चलित)	रु. 08.00 प्रथम किलोमीटर या उसके भाग के लिये और तत्पश्चात् प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये रु. 06.00.
2.	मोटर कैब टेक्सी (पेट्रोल चलित)	रु. 14.00 न्यूनतम किराये के अध्यधीन रहते हुए और प्रत्येक 1/2 किलोमीटर हेतु या उसके भाग के लिये रु. 06.00.
3.	तीन पहिये वाले टेम्पो (डीजल चलित) जिसकी बैठक क्षमता चालक को छोड़कर 06 सीट हों.	रु. 07.00 प्रथम किलोमीटर या उसके भाग के लिये और तत्पश्चात् प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये रु. 06.00.

	(1)	(2)
4.	स्कूटर-रिक्शा (डीजल चलित)	रु. 08.00 प्रथम किलोमीटर या उसके भाग के लिये और तत्पश्चात् प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये रु. 08.00.
5.	स्कूटर-रिक्शा (पेट्रोल चलित)	रु. 11.00 प्रथम किलोमीटर या उसके भाग के लिये और तत्पश्चात् प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये रु. 08.00.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th August 2015

NOTIFICATION

No. F 5-12/viii-Trans/2015. — In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of sub-section (1) of Section 67 and having regard to the provisions of clauses (a) to (d) of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in Supersession of Department Notification No. 4733/Tech./Trans/2011 dated 14th October 2011, the State Government hereby, issues the following directions to the State Transport Authority and the Regional Transport Authorities in the State, regarding fixing of fares mentioned therein :-

DIRECTION

The maximum fare chargeable to the distance measured in Kilometers for the type of Contract Carriage specified in column (1) Schedule below shall be at the rates specified in corresponding entries against them in the column (2) of the said Schedule.-

SCHEDULE

S. No.	Type of Contract Carriage (1)	Fare (2)
1.	Motor Cab/Taxi (Diesel Driven)	Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 06. 00 for every kilometer or part thereof.
2.	Motor Cab/Taxi (Petrol Driven)	Subject to a minimum fare of Rs. 14.00 and Rs. 06.00 for every 1/2 kilometer or part thereof.
3.	Three wheeler Tempo (Diesel Driven) with seating capacity up to 06 excluding the driver.	Rs. 07.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 06. 00 for every kilometer or part thereof.
4.	Scooter-Rickshaw (Diesel Driven)	Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 08. 00 for every kilometer or part thereof.
5.	Scooter-Rickshaw (Petrol Driven)	Rs. 11.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 08. 00 for every kilometer or part thereof.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.